

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)  
पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 193 / 2023 / सरफौरी

एविट फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय-एविट हाउस, 449, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 एवं शाखा कार्यालय -405-406, 4th फ्लोर, सिटी कॉरपोरेट, मालवीय मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001, राजस्थान ।

.....प्रार्थी

**बनाम**

1. एस. एस. मकेन्टाईल्स, पता-स्टार हास्पिटल के सामने, फतेहपुरा, प्लॉट संख्या-104, खारोल कॉलोनी, गली नं.-5, उदयपुर गिर्वा, राजस्थान-313001
2. अश्विनी सनाढय पुत्र श्री अशोक कुमार सनाढय  
पता- स्टार हास्पिटल के सामने, फतेहपुरा, प्लॉट संख्या-104, खारोल कॉलोनी, गली नं.-5, उदयपुर गिर्वा, राजस्थान-313001
3. सिमी सनाढय पत्नी श्री अश्विनी सनाढय  
पता-स्टार हास्पिटल के सामने, फतेहपुरा, प्लॉट संख्या-104, खारोल कॉलोनी, गली नं.-5, उदयपुर गिर्वा, राजस्थान-313001
4. अशोक कुमार सनाढय पुत्र श्री चर्तुभज सनाढय  
पता-स्टार हास्पिटल के सामने, फतेहपुरा, प्लॉट संख्या-104, खारोल कॉलोनी, गली नं.-5, उदयपुर गिर्वा, राजस्थान-313001
5. सुनिता सनाढय पत्नी श्री अशोक कुमार सनाढय  
पता-स्टार हास्पिटल के सामने, फतेहपुरा, प्लॉट संख्या-104, खारोल कॉलोनी, गली नं.-5, उदयपुर गिर्वा, राजस्थान-313001

.....ऋणी / अप्रार्थीगण

**प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002**



उपस्थित: श्री चेतन मेनारिया अधिवक्ता प्रार्थी

**आदेश**

दिनांक.....16-10-2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि 30,46,374/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद (सम्पत्ति के सभी भाग और पार्सल आवासीय भूखण्ड प्लॉट संख्या-104, क्षेत्रफल 2700 स्क्वायर फीट, फतेहपुरा, खारोल स्कीम, खारोल कॉलोनी, गली नं.-5, स्टार हास्पिटल के सामने, उदयपुर राजस्थान -जिसकी चारों सीमाओं में-पूर्व की ओर-40 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम की ओर-अन्य का प्लॉट, उत्तर की ओर- राजसिंह मेहता की भूमि, दक्षिण की ओर-80 फीट चौड़ी सड़क) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर

जिला कलक्टर  
उदयपुर

प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 03.10.2022 तक 30,73,404.58/- रूपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 30,46,374/-रूपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 03.10.2022 तक 30,73,404.58/- रूपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्वोरिटी इन्ट्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यों के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहित न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद (सम्पत्ति के सभी भाग और पार्सल-आवासीय भूखण्ड प्लॉट संख्या-104, क्षेत्रफल 2700 स्क्वायर फीट, फतेहपुरा, खारोल स्कीम, खारोल कॉलोनी, गली नं.-5, स्टार हॉस्पिटल के सामने, उदयपुर राजस्थान -जिसकी चारों सीमाओं में-पूर्व की ओर-40 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम की ओर-अन्य का प्लॉट, उत्तर की ओर- राजसिंह मेहता की भूमि, दक्षिण की ओर-60 फीट चौड़ी सड़क) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि वंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ़्तर हों।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
उदयपुर